प्रेषक

एस. के. मुट्टू
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तरांचल शासन।

संख्या: 02 /XVII(1)/05-01/प्रकोष्ठ/2005

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांक: 31 मार्च, 2005

विषय : जनपद नैनीताल के रामनगर विकास खण्ड अन्तर्गत मालधन चौड़ क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत डेरी विकास योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्तपोषण हेतु डेरी विकास विभाग उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल) का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसका उद्देश्य तीन वर्ष की अवधि में रू0 286.425 लाख व्यय कर 818 अनुसूचित जाति के परिवारों को उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन तथा दुग्ध संघ नैनीताल के माध्यम से दुधारू पशुओं का क्रय कराते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, उत्पादित दुग्ध की विपणन की व्यवस्था करते हुए अर्जित पारिवारिक आय में वृद्धि करना, रोजगार के नये अवसर पैदा करना एवं उद्यमिता के आधार पर स्वरोजगार प्रदान करना है।

2— यह परियोजना जनपद नैनीताल के रामनगर विकासखण्ड के अन्तर्गत मालधनचौड़ क्षेत्र में संचालित की जायेगी। परियोजनान्तर्गत 11 दुग्ध समितियाँ जो क्रमशः गौतमनगर, गांधीनगर, दयापुरा, गोपालनगर, आनन्दनगर, चन्द्रनगर, मालधनचौड़, नटरानी, कुनुगडार, शिवनाथपुर एवं पीपलपड़ाव ग्रामों में गठित की गई हैं, का चयन किया गया है। इन दुग्ध समितियों में वर्तमान में कुल 488 परिवार सदस्य हैं जो सभी अनुसूचित जाति के हैं। 11 दुग्ध समितियां प्रति वर्ष 110 अनुसूचित जाति के परिवारों की अतिरिक्त भागीदारी सुनिश्चित करते हुए तीन वर्ष की अवधि में 330 नये परिवारों को डेरी विकास के कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा। यह सभी अनुसूचित जाति परिवार चिन्हांकित किये गये हैं तथा बी0पी0एल0 श्रेणी में आते हैं।

3— योजनान्तर्गत 11 दुग्ध समितियों में प्रति वर्ष पांच सदस्य प्रति समिति की दर से सम्मिलित किये जाने वाले 110 सदस्य परिवारों को नाबार्ड द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर 2–2 दुधारू पशु उपलब्ध कराये जायेंगे। इस प्रकार योजना कार्यकाल में 330 परिवारों को 660 दुधारू पशु वितरित किये जायेंगे। नाबार्ड के मानक के अनुसार दो दुधारू पशुओं की इकाई लागत कुल रू0 44,300/- की धनराशि में से रू0 23,225/- संस्थागत वित्त स्रोत से उपलब्ध कराया जायेगा। मार्जिनमनी एवं अनुदान अनुसूचित जाति के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना अथवा विशेष संघटक योजना के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त धनराशि से दी जायेगी।

क्रमशः .... 2 पर

BHATT Budget 04-05 VOA...

4– दुग्ध समितियों में सम्मिलित परिवारों की आय बढ़ाने हेतु संचालित की जा रही मिनी डेरी योजनान्तर्गत बैंक ऋण, अनुदान एवं मार्जिनमनी ऋण के अतिरिक्त अवस्थापना विकास एवं प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जायेगी जिसमें शासकीय अनुदान के साथ–साथ लाभार्थी की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

5– दुग्ध समिति की सदस्यता हेतु निर्धारित हिस्सा पूंजी रू0 20/– प्रति सदस्य का भुगतान अनुदान के रूप में किया जायेगा।

6– दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिये दुधारू पशुओं को पौष्टिक आहार की आपूर्ति हेतु इस मद में आने वाले व्यय जो रू0 3/– प्रति किग्रा. प्रति पशु प्रति दिन है ,को प्रथम छः माह तक निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। लाभार्थी के द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप 5 लीटर दूध प्रतिदिन दुग्ध संघ को विक्रय करने एवं लिखित आवेदन करने पर एक वर्ष तक सन्तुलित आहार पर आने वाले व्यय का 50% अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा तदुपरान्त योजनावधि की अवशेष डेढ़ वर्ष के लिये 25% अनुदान दिया जायेगा। दुधारू पशु एवं बछड़े–बछिया हेतु न्यूनतम 120 वर्गफुट क्षेत्र के लिये कैटिल शैड के निर्माण पर आने वाले व्यय रू0 12,000/– की धनराशि का 50% अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। परियोजना की अवधि में सम्मिलित किये जाने वाले कुल 330 सदस्य परिवारों को 330 चारा कटाई मशीन उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रति मशीन रू0 3000/– के दर से आने वाले व्यय का 50% अनुदान के रूप में दिया जायेगा।

7– प्रत्येक दुग्ध समिति के लिये पशुओं की देखरेख हेतु एक कैटिल क्रश की स्थापना की जायेगी । प्रति कैटिल क्रश रू0 3000/– की धनराशि को शतप्रतिशत शासकीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

8– दुग्ध उत्पादक सदस्यों को पशु प्रबन्धन, दुग्ध उत्पादन ,चारा विकास पशु स्वास्थ्य एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आदि की नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु योजनावधि में कुल 818 लाभार्थियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रति लाभार्थी रू0 300/– की दर से इस मद में कुल रू0 2.454 लाख का व्यय किया जायेगा।

9– चूंकि समिति के सभी सदस्य अनुसूचित जाति परिवार से हैं एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के हैं इसलिये शासन द्वारा अनुसूचित जाति के लिये संचालित की जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक दुग्ध समिति में प्रति वर्ष एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा। ये शिविर उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम एवं दुग्ध संघ परस्पर समन्वय स्थापितकर आयोजित करेंगे तथा अनुसूचित जाति के कल्याण के क्षेत्र में संलग्न स्वैच्छिक संस्था को भी इस कार्य हेतु उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार के जागरूकता शिविर आयोजन, प्रचार–प्रसार सामग्री के प्रकाशन, वाह्य मूल्यांकन व अनुश्रवण हेतु एकमुश्त रू0 10.00 लाख की धनराशि योजना अवधि में व्यय की जायेगी। यह धनराशि उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0, देहरादून को प्रदान की जायेगी।

10– दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हुई तकनीकी प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु उन्हें राष्ट्रीय डेरी शोध संस्थान , करनाल ,कृषि विश्वविद्यालय , हिसार , अमूल , गुजरात का

क्रमशः .... 3 पर

भ्रमण एवं प्रशिक्षण कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत नव चयनित 330 दुग्ध उत्पादकों को इन संस्थानों में भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु प्रति सदस्य औसतन रू0 3000/– की दर से तीन वर्ष हेतु कुल रू0 9.90 लाख का व्यय किया जायेगा।

11– स्वच्छ दुग्ध का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु समस्त 818 लाभार्थियों को एस0एस0 बकैट निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। जिसमें कुल रू0 2.454 लाख की धनराशि व्यय की जायेगी। इसके अतिरिक्त भण्डारण आदि हेतु वांछित अन्य बर्तन दुग्ध संघ द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा जिसका व्ययभार वहन दुग्ध संघ अपने स्त्रोतों से करेगा।

12– दुग्ध समिति के सदस्य द्वारा उत्पादित विक्रय हेतु उपलब्ध समस्त दुग्ध का क्रय दुग्ध संघ के द्वारा किया जायेगा और दुग्ध क्रय की दरें दुग्ध संघ के मानकों के अनुरूप निर्धारित कर भुगतान की जायेगी। दुग्ध समिति के सदस्य को 07 दिन के अन्तराल में माह में चार बार क्रय किये गये दुग्ध के सापेक्ष धनराशि भुगतान की जायेगी।

13– चूंकि लाभार्थी को दुधारू पशु क्रय हेतु धनराशि ऋण के रूप में बैंक अथवा उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम तथा मार्जिनमनी ऋण उत्तरांचल बहुउददशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा दुग्ध संघ के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। इसलिये निगम के ऋण तथा मार्जिनमनी ऋण की वसूली हेतु लाभार्थी दुग्ध संघ एवं उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान होगा कि दुग्ध संघ लाभार्थी से उत्पादित दूध का निर्धारित मूल्य पर क्रय करेगा एवं लाभार्थी को भुगतान की जाने वाली धनराशि से निगम के ऋण एवं मार्जिनमनी ऋण की किस्त की वसूली उपरान्त अवशेष धनराशि लाभार्थी को उपलब्ध करायेगा। निगम के ऋण एवं मार्जिनमनी ऋण की वसूली मासिक उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा दुग्ध संघ तथा लाभार्थी को दी जायेगी।

14– प्रत्येक दुग्ध समिति के लिये एक दुग्ध क्रय केन्द्र (मिल्क रूम) का निर्माण किया जायेगा जिसमें प्रति केन्द्र रू0 2.00 लाख की दर से रू0 22.00 लाख की धनराशि व्यय की जायेगी। यह दुग्ध केन्द्र दुग्ध समिति के सदस्यों को पशुपालन सम्बन्धी अन्य सुविधाएं जिनमें कृत्रिम गर्भाधान, पशु स्वास्थ्य के देखभाल, टीकाकरण, सन्तुलित पौष्टिक आहार वितरण आदि की सेवाएं भी प्रदान करेगा।

15– उत्पादित दुग्ध के विपणन हेतु ग्रामों तक सुदृढ़ आन्तरिक मार्ग की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। नालधनचौड़ क्षेत्र में चयनित ग्रामों में 10 किमी0 पक्का आन्तरिक मार्गों का निर्माण किया जायेगा जिसमें प्रति किमी0 रू0 10.00 लाख की औसत दर से रू0 1.00 करोड़ का व्यय किया जायेगा।

16– परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने वाले सभी 11 दुग्ध समितियों के लिये डेरी विकास विभाग द्वारा निःशुल्क सहायक सुविधाएं भी प्रदान की जायेंगी जिसके अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य सेवा, सांड वितरण, चारा बीज, मिनी किट वितरण, दुग्ध समितियों हेतु अवस्थापना एवं दुग्ध अवशीतन व्यवस्था सम्मिलित हैं। नैनीताल दुग्ध संघ अपने वर्तमान मानव शक्ति के द्वारा यह सुविधाएं उपलब्ध करायेगा।

क्रमशः .... 4 पर

17— यह अनुमान है कि परियोजना के सफल क्रियान्वयन होने पर योजना कार्यकाल के प्रथम वर्ष में चयनित परिवार कुल 4320 लीटर दूध का उत्पादन करेगा जिससे रू0 49.600/— की सकल आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त गोबर आदि की विक्री से रू0 500/— की अतिरिक्त आय सृजित होगी। इस प्रकार प्रति वर्ष एक परिवार रू0 50,180/— की सकल आय अर्जित करेगा दुग्ध उत्पादन में आने वाले समस्त व्यय एवं ऋण व ब्याज की किस्त घटाने पर रू0 18660/—प्रति वर्ष अथवा रू0 1555/— प्रति माह की शुद्ध आय अर्जित करेगा। योजना अवधि के द्वितीय वर्ष में यह आय बढ़कर रू0 24,830/— प्रति वर्ष अथवा रू0 2070/— प्रति माह होने का अनुमान है। इसके उपरान्त आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की सम्भावना है।

18— डेरी विकास विभाग योजना पर किये गये व्यय की सूचना मासिक रूप से निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि. शासन को उपलब्ध करायेगा। व्यय सम्बन्धी समस्त लेखे व अभिलेख नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के आडिट हेतु उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि. व दुग्ध संघ नैनीताल व उसकी इकाईयों के स्तर पर सुरक्षित रखे जायेंगे।

19— परियोजनान्तर्गत चयनित 11 दुग्ध समितियों के ग्रामों में साइनबोर्ड लगाये जायेंगे जिनमें परियोजना के संबंध में जानकारी देने के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक योजना से वित्तपोषित का उल्लेख भी किया जायेगा।

20— उक्त परियोजना के सम्बन्ध में डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल द्वारा उपलब्ध कराये गये त्रिवर्षीय प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए निम्नांकित विवरण के अनुसार परियोजना की कुल लागत रू. 286.425 लाख (रूपये दो करोड़ छियासी लाख बयालीस हजार पांच सौ मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	मद का नाम	प्रति इकाई लागत	कुल भौतिक इकाईयां	कुल लागत	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुधारू पशु क्रय(अनुदान +मार्जिनमनी	21,075/—	330	69.55	23.18	23.18	23.19
2	पशु आहार	1,293/—	660	8.535	3.285	3.00	2.25
3	कैटिल शैड निर्माण	6,000/—	330	19.80	6.60	6.60	6.60
4	चारा मशीन	1,500/—	330	4.95	1.65	1.65	1.65
5	दुधारू पशु बीमा	1.260/—	660	8.316	2.77	2.77	2.776
6	कैटिल क्रश	3,000/—	11	0.33	0.33	0	0
7	प्रशिक्षण	300/—	818	2.454	0.82	0.82	0.814
8	अंशपूंजी विनियोजन	20/—प्रति सदस्य	330	0.066	0.022	0.022	0.022
9	एस0एस0बकेट वितरण	300/—	818	2.454	0.82	0.82	0.814
10	भूसा गोदाम निर्माण	3 लाख रू0 प्रति गोदाम	03	9.00	3.00	3.00	3.00
11	भूसा हेतु रिवाल्विंग फण्ड	1.00 लाख प्रतिवर्ष	03 वर्ष	3.00	1.00	1.00	1.00
12	मिल्क रूम की स्थापना	2 लाख रू. प्रति मिल्क रूम	11	22.00	8.00	8.00	6.00
13	फार्मर्स इन्डक्सन प्रोग्राम	3000/—	330	9.90	3.30	3.30	3.30
14	सड़क निर्माण	10 लाखप्रतिकिमी.	10किमी.	100.00	30.00	30.00	40.00
15	हैण्ड पम्प निर्माण	25000/—प्रतिपम्प	11हैण्डपम्प	2.75	1.00	1.00	0.75
16	क्रियान्वयन एजेन्सी अधिष्ठान व्यय	4.44लाख प्रति वर्ष	03 वर्ष	13.32	4.44	4.44	4.44
17	वाह्यमूल्यांकन,अनुश्रवाण,प्रचार—प्रसार हेतु उ0बहु0वि0वि0निगम को सहायता	— —	03 वर्ष	10.00	4.00	3.00	3.00
	योग			286.425	94.217	92.602	99.606

BHATT Budget 04-05 (VOA)-1

21– उक्त तालिका के क्रमांक–1 की धनराशि "अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना" की मद से एवं क्रमांक–2 से 17 तक की धनराशि "अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता" की मद से वहन की जायेगी। तत्क्रम में ही उक्त तालिका के क्रमांक–1 से 16 तक की धनराशि उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि., हल्द्वानी (नैनीताल) को तथा क्रमांक–17 की धनराशि उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0 को वर्षवार आबंटित की जायेगी।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

संख्या: 02 (1) / XVII(1) / 05–01(प्रकोष्ठ) / 2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, पशुपालन एवं डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि., हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. वित्त अनुभाग–2, वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
8. निदेशक, दुग्ध विकास विभाग, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव.